

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)

// विविध आदेश //

क्रमांक- ०१/एक-5-1/2010,

सिंगरौली, दिनांक-30.12.2023

म0प्र0, व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर0 एन0 चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र खण्ड सिंगरौली वर्ष, 2024 के लिए एवं आगामी अन्य आदेश होने तक के लिए निम्नानुसार कार्य विभाजन पत्रक जारी करता हूँ:-

{यह विविध आदेश दिनांक-01.01.2024 से प्रभावशील होगा}

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों के प्रकार
1	2	3	4
1.	श्री आर0 एन0 चंद प्रधान जिला न्यायाधीश, सिंगरौली	सिविल जिला सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त सिविल वाद जिनका मूल्यांकन दो करोड रुपए से अधिक होगा। 2. उपरोक्त वादों से उत्पन्न सभी विविध एवं इजराय प्रकरण। 3. निर्वाचन याचिका नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत। 4. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय से उद्भूत अपीलें। 5. सिविल प्रकरणों से संबंधित स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 24, सिविल प्रक्रिया संहिता। 6. अन्य समस्त प्रकरण, आवेदन पत्र जो सामान्य स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश की सुनवाई योग्य हो, जिनके संबंध में अन्यत्र निर्देश न दिया गया हो। 7. म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत एक करोड मूल्य से अधिक के समस्त प्रकरण।

			<ol style="list-style-type: none"> 9. मुख्यालय पर पदस्थ सभी सिविल जज वरिष्ठ खण्ड एवं सिविल जज कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत विविध सिविल अपील, नियमित सिविल अपील व अपील से संबंधित विविध प्रकरण। 10. थाना बैढन, विन्ध्यनगर, मोरवा, नवानगर, लंघाडोल, माडा से संबंधित समस्त मृत्यु दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण। 11. अन्य सभी प्रकार के प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार का उल्लेख न हो उनकी सुनवाई। 12. बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त थानों के मृत्यु दावा प्रकरण जो तहसील सिंगरौली एवं माडा क्षेत्र के प्रकरण। 13. भू-अर्जन के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरण। 14. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) के समस्त प्रकरण।
1A	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली	सत्र खण्ड सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपीलें। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. विविध आपराधिक प्रकरण। 5. (विद्युत अधिनियम 2003, मादक पदार्थ अधिनियम 1985 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को छोड़कर) शेष सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अन्य विशेष अधिनियम के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न जमानत आवेदन एवं उनसे उत्पन्न प्रकरण।
2	श्री सुशील कुमार प्रथम जिला न्यायाधीश, सिंगरौली	सिविल जिला सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा।

2A	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	सत्र खण्ड सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 2. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 3. सत्र खण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण व जमानत आवेदन पत्र। 4. सत्र खण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित, संस्थापित प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र।
3	श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, द्वितीय जिला न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सिविल जिला सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा।
3A	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सत्र खण्ड सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए, जिला मुख्यालय सिंगरौली से उद्भूत समस्त लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र। 2. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त सत्र प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 3. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 4. जिला मुख्यालय सिंगरौली बैटन के समस्त रेप केसेस, गैंग रेप एवं रेप विथ मर्डर के प्रकरण।
4	श्री आत्माराम टॉक, चतुर्थ जिला न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सिविल जिला सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा। 2. थाना कोतवाली बैटन, विन्ध्यनगर, मोरवा एवं नवानगर थाना क्षेत्रों से संबंधित समस्त क्लेम प्रकरण जो मृत्यु दावे से संबंधित न हों एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण।

			<ol style="list-style-type: none"> 3. बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले मृत्यु दावा प्रकरण को छोड़कर अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली बैढ़न, विन्ध्यनगर एवं नवानगर के प्रकरण। 4. The Court of District Judge as the Principal Civil Court of original jurisdiction would be competent to decide the matters/disputes filed under the provisions to Sections 9, 14 & 36 of the Arbitration Act and also under the provisions of the Commercial Court Act,
4A	चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सत्र खण्ड सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक निगरानी एवं जमानत आवेदन पत्र। 2. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 3. सत्रखण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत लंबित, संस्थापित प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 4. म0प्र0 किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2022 के नियम 14(1)(एक) के अनुसार बालक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में जो बालक न्यायालय से अन्यथा होगी अपील।
5	श्री विवेक कुमार पाठक, पंचम जिला न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सिविल जिला सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा। 2. एक करोड एक रुपये से दो करोड रुपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद। 3. उपरोक्त वादों /प्रकरण से उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4. मध्यप्रदेश सहकारी संस्थान अधिनियम के अंतर्गत पचास हजार एक रुपए मूल्य से अधिक के प्रकरण।

			<ol style="list-style-type: none"> 5. म0प्र0 नगर पालिक अधि0 1961 की धारा 139(5) तथा धारा 172(3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण। 6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रोवेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 7. रूपये 501=00 से रूपये 1000=00 मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 8. साहूकारों के कुचकों से परित्राण विमुक्ति अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 9. थाना लंघाडोल एवं माडा थाना क्षेत्रों से संबंधित समस्त क्लेम प्रकरण जो मृत्यु दावे से संबंधित न हों एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण। 10. बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले मृत्यु दावा प्रकरण को छोड़कर अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण पुलिस थाना माडा, लंघाडोल के प्रकरण।
5A	पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सत्र खण्ड सिंगरौली	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक निगरानी एवं जमानत आवेदन पत्र। 2. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 3. सत्रखण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लंबित, संस्थापित प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र।
6	श्री सुधीर सिंह राठौड़ द्वितीय जिला न्यायाधीश, देवसर जिला सिंगरौली	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा। 2. एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के "ए" तथा "बी" श्रेणी के सम्पत्ति वाद। 3. आर्बीटेशन तथा कंसिलिएशान एक्ट 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 4. तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई के रू0 501=00 से रू01000=00 मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 5. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण जो देवसर, चितरंगी व सरई तहसील से उद्भूत।

			<p>6. भू अर्जन से संबंधित समस्त प्रकरण जो देवसर, चितरंगी एवं सरई तहसील से उद्भूत हों।</p> <p>7. मुख्यालय देवसर पर पदस्थ सभी सिविल जज वरिष्ठ खण्ड एवं सिविल जज कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत विविध सिविल अपील, नियमित सिविल अपील व अपील से संबंधित विविध प्रकरण।</p> <p>8. कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली के क्षेत्राधिकार वाले प्रकरण/कार्यवाहियों को छोड़कर तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई से उद्भूत हिन्दू विधि के अन्तर्गत (हिन्दू विवाह अधिनियम, दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम) के प्रकरण व उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण।</p>
6A	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर जिला सिंगरौली (M0प्र0)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	<p>1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, एवं दाण्डिक पुनरीक्षण।</p> <p>2. देवसर विद्युत क्षेत्र से संबंधित विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उद्भूत विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन।</p> <p>3. थाना चितरंगी एवं गढवा से उद्भूत समस्त आपराधिक सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक रिवीजन एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण।</p> <p>4. थाना चितरंगी एवं गढवा से उद्भूत जमानत आवेदन-पत्र।</p>
7	श्री श्यामसुन्दर झा, तृतीय जिला न्यायाधीश, देवसर, (M0प्र0)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	<p>1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा।</p>

7A	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर (म0प्र0)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण । 2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए, तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई के ग्रामों से उद्भूत समस्त लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र। 3. थाना जियावन, बरगवां एवं सरई से उद्भूत समस्त प्रकार के सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील तथा आपराधिक रिवीजन प्रकरण एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 4. थाना जियावान, बरगवां एवं सरई से उद्भूत जमानत आवेदन पत्र।
8	श्री कृष्णपाल सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण। 3. पाँच लाख एक रुपए से तीस लाख रुपए मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन विविध प्रकरण । 4. एक रुपए से पाँच सौ रुपए मूल्य तक के लघु वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विभिन्न प्रकरण।
9	श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. पांच लाख एक रुपये से तीस लाख रुपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. एक रुपये से पांच लाख रुपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह अप्रैल, अगस्त, दिसम्बर 2024) 3. एक रुपये से पांच लाख रुपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह अप्रैल, अगस्त, दिसम्बर 2024)

			<p>4. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।</p> <p>5. The Commercial Court, commercial Division and commercial appellate division of high court act, 2015 की धारा 2सी में यथा परिभाषित कामर्शियल एवं फाईनेंशियल डिस्प्यूट से संबंधित (एक करोड़ रुपये से कम मूल्य) के समस्त प्रकरण।</p> <p>6. तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई के क्षेत्राधिकार के उत्पन्न समस्त भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रोवेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण।</p>
10	श्री अभिषेक कुमार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	<p>1. तीस लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. एक रुपये से पांच लाख रुपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह मार्च, जुलाई, नवम्बर 2024)</p> <p>3. एक रुपये से पांच लाख रुपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह मार्च, जुलाई, नवम्बर 2024)</p> <p>4. प्रादेशिक दिवालिया अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>5. उपरोक्त वादों से उद्भूत इजराय एवं विविध प्रकरण।</p> <p>6. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा। ग्राम न्यायालय के विचारण योग्य दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण।</p>
11	श्रीमती प्रितांजली सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, वैढन जिला सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	<p>1. एक रुपये से पांच लाख रुपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह फरवरी, जून, अक्टूबर 2024)</p> <p>2. एक रुपये से पांच लाख रुपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p>

			<p>(माह फरवरी, जून, अक्टूबर 2024)</p> <p>3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।</p> <p>4. तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवसर के क्षेत्राधिकार वाले) समस्त प्रकरण</p>
12	श्री आयुष कनेल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैढन	देवसर एवं सिंगरौली सम्पूर्ण क्षेत्र से संबंधित किशोर न्याय बोर्ड	1. सम्पूर्ण जिला सिंगरौली क्षेत्र से संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए जाने वाले प्रकरण।
13	सुश्री आयुषी उपाध्याय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	<p>1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह जनवरी, मई, सितम्बर 2024)</p> <p>2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह जनवरी, मई, सितम्बर 2024)</p> <p>3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।</p>
14	श्रीमती आयुषी अग्रवाल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड देवसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	<p>1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह जनवरी, मई, सितम्बर 2024)</p> <p>2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह जनवरी, मई, सितम्बर 2024)</p> <p>3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।</p>
15	श्रीमती अदिति तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड देवसर	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह फरवरी, जून, अक्टूबर 2024)

			2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह फरवरी, जून, अक्टूबर 2024)
			3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
16	श्री अंकुर तिवारी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड देवसर	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह मार्च, जुलाई, नवम्बर 2024)
			2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह मार्च, जुलाई, नवम्बर 2024)
			3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
17	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड देवसर	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह अप्रैल, अगस्त, दिसम्बर 2024)
			2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (माह अप्रैल, अगस्त, दिसम्बर 2024)
			3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।

—:: आवश्यक आदेश व निर्देश ::—

- (1) सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अभियुक्त के पश्चातवर्ती जमानत आवेदन पत्र तथा सह अभियुक्तों के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई उसी जज द्वारा की जावेगी, जिसने उस अतिरिक्ताध क्रमांक से संबंधित आवेदन पत्र पूर्व में निर्णीत किया है। तत्संबंधी आवेदन पत्र उस न्यायाधीश को स्वतः अंतरित माना जावेगा।
- (2) सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में प्रथम जमानत आवेदन पत्र एवं 34(2) आबकारी अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन पत्र थाना अनुसार निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी के द्वारा निराकृत किये जायेंगे :-

क.	थाने का नाम	न्यायिक अधिकारी का नाम
01	बैठन, नवानगर	श्री सुशील कुमार, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैठन
02	विन्ध्यनगर, माडा, सरई	श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैठन
03	गढ़वा, जियावन, बरगवाँ	श्री आत्माराम टांक, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैठन
04	मोरवा, लंघाडोल, चितरंगी	श्री विवेक कुमार पाठक, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैठन

नोट:- यदि उपरोक्त विभाजन अनुसार कोई न्यायिक अधिकारी उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहता है तो, चार्ज प्रभार अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का निराकरण किया जायेगा तथा उक्त जमानत आवेदन, संबंधित न्यायालय को स्वमेव अंतरित मान्य किये जावेंगे ।

- (3) माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/1654/तीन-6-3/89, जबलपुर दिनांक 18.04.2022 के अध्याधीन रहते हुए एन.डी.पी.एस., एस.सी./एस.टी एक्ट, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जमानत आवेदन एवं रिमाण्ड उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर पदस्थ एवं उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत होंगे। आपराधिक प्रकरणों की अन्य आदेश पत्रिकाएं हस्ताक्षर हेतु चार्ज प्रभार अनुसार संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होंगे। चार्ज प्रभार के तीनों प्रभारी अधिकारियों की अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (4) मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अधीन मामलों के निपटारे के प्रयोजन के लिये जिला सिंगरौली में मुख्यालय बैठन एवं तहसील देवसर में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों को थाना अनुसार कार्य विभाजन किया जाता है:-

जिला मुख्यालय बैठन

क्र०	न्यायालय का नाम	थाना
01	सत्र न्यायाधीश, प्रधान जिला सिंगरौली	विन्ध्यनगर, बैठन
02	श्री आत्माराम टॉक, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैठन	माडा, मोरवा
03	श्री विवेक कुमार पाठक, पंचम अति० सत्र न्यायाधीश, बैठन	लंघाडोल, नवानगर

तहसील देवसर

क्र०	न्यायालय का नाम	थाना
01	श्री सुधीर सिंह राठौड़, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	जियावन, सरई, चितरंगी, बरगवां, गढ़वा

नोट:- यदि कोई न्यायिक अधिकारी सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अवकाश पर हैं, सार्वजनिक अवकाश एवं अन्य प्रकार के किसी भी अवकाश की स्थिति में प्रथम रिमाण्ड संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट दे सकेंगे।

चार्ज प्रभार

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(3) एवं सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 21(4) के अंतर्गत कार्यरत् न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य के लिए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो दिनांक **01.01.2024** से प्रभावशील होगा:-

क्र	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैठन सिंगरौली	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
2	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
3	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली

14	श्रीमती आयुषी अग्रवाल प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ देवसर	श्रीमती अदिति तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री अंकुर तिवारी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर
15	श्रीमती अदिति तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री अंकुर तिवारी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्रीमती आयुषी अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ देवसर
16	श्री अंकुर तिवारी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्रीमती अदिति तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्रीमती आयुषी अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ देवसर
17	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्रीमती अदिति तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री अंकुर तिवारी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर

नोट :-

- (1) यह चार्ज प्रभार का आदेश दिनांक— **01.01.2024** से अन्य कोई आदेश होने तक के लिए प्रभावशील होगा।
- (2) यदि कोई व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुख्यालय में अनुपलब्ध है एवं उसके चार्ज प्रभार वाले न्यायिक अधिकारी भी अनुपलब्ध है तो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड का सबसे कनिष्ठतम अधिकारी कार्य करेगा।
- (3) यदि कोई व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुख्यालय में अनुपलब्ध है एवं उसके चार्ज प्रभार वाले न्यायिक अधिकारी भी अनुपलब्ध है तो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड का कनिष्ठतम अधिकारी अथवा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के कोई भी न्यायिक अधिकारी उपलब्ध न हो तो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड का सबसे कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी कार्य करेगा।
- (4) यह कार्यविभाजन न्यायालयों के पदनाम से किया जाना आशयिक है एवं केवल पदनाम की सुविधा के लिए वर्तमान में पदस्थ पीठासीन अधिकारी के नाम भी लिख दिए गए हैं, किन्तु जब तक माननीय उच्च न्यायालय या म0प्र0 शासन की किसी अधिसूचना द्वारा अन्यथा आशयित न हो तब तक वर्तमान में पदस्थ पीठासीन अधिकारी के बाद उनके स्थान पर आने वाले न्यायिक अधिकारी भी उक्त कार्य विभाजन के अनुसार अधिकृत होंगे।

- (5) तहसील देवसर में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही, न्यायालय श्रीमती आयुषी अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा संपादित की जावेगी।
- (6) तहसील देवसर में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही, न्यायालय श्रीमती अदिति तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवसर द्वारा संपादित की जावेगी।
- (7) मुख्यालय बैढन में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही न्यायालय श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैढन द्वारा संपादित की जावेगी।
- (8) मुख्यालय बैढन में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही न्यायालय सुश्री आयुषी उपाध्याय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैढन द्वारा संपादित की जावेगी।
- (9) मुख्यालय बैढन में पूर्व में कार्यरत् समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही सुश्री आयुषी उपाध्याय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैढन के द्वारा संपादित की जावेगी।
- (10) मुख्यालय बैढन में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां न्यायालय श्री आत्माराम टॉक, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैढन जिला सिंगरौली के द्वारा संपादित की जावेगी।
- (11) तहसील देवसर में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवसर के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां न्यायालय श्री सुधीर सिंह राठौड़, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवसर जिला सिंगरौली के द्वारा संपादित की जावेगी।
- (12) केन्द्रीयकृत पंजीयन कार्यालय में पंजीयन उपरांत संबंधित प्रकरण, इस कार्य विभाजन के आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

- (13) इस कार्य विभाजन पत्रक का पूर्व से लंबित दावे के श्रवणाधिकार के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् उक्त मामले यथावत जिस न्यायालय में लंबित हैं, उसी न्यायालय में ही विचारित किये जावेंगे।
- (14) इस कार्य विभाजन पत्रक का न्यायाधीशों के वरिष्ठता क्रम पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- (15) माननीय उच्च न्यायालय से अपील/पुनरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियों में रिमाण्ड होकर अथवा निराकृत होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण (पूर्व में रहे विशेष न्यायालय) के संबंधित विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी. एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट/विद्युत अधिनियम/सत्र वाद आदि से संबंधित मामले उनके पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी के न्यायालयों के द्वारा ही निराकृत होने से सत्र न्यायालय के माध्यम से सीधे उक्त न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भेजे जावेंगे।
- (16) ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश में अत्यावश्यक प्रकृति के वादों एवं आवेदनों को ग्रहण करने एवं निराकृत करने की कार्यवाही, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा की जा सकेगी तथा यदि संबंधित न्यायालय रिक्त हो अथवा संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हों, तो उस न्यायालय के प्रभारी द्वारा उक्त कार्यवाही संपादित की जावेगी। इस संबंध में पृथक आदेश देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

—Sd—

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)

पृ0 क्र0-2288/एक-5-1/2010,

सिंगरौली, दिनांक-30.12.2023

1. प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
2. द्वितीय/तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली
4. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली
5. प्रथम अति0/प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर
6. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
7. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैढन/देवसर जिला सिंगरौली,
.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)